कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 07/2020-21/

दिनांक : /12/2020

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम - रूड़की,
जनपद - हरिद्वार ।

विषय : नगर निगम रूड़की, जनपद- हरिद्वार का वर्ष 04/2019 से 03/2020 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में **01** प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में **14** प्रस्तर एवं STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 33 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 07/2020-21/ दिनांक: /12/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- सचिवदेहरादून। ,उत्तराखण्ड ,शहरी विकास विभाग ,
2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।
3- निदेशक, लेखापरीक्षा आयुक्त कर भवन, द्वितीय तल (ऑडिट निदेशालय), जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, देहरादून, पिन कोडः 248005।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 07 /2020-21</u>

निरीक्षण आख्या **कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए **कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

<u>भाग-प्रथम</u>

1- **परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्रीमती ममता देवी, व. लेखापरीक्षक, श्री नित्यानंद सिंह एवं ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.08.2019 से 18.09.2019 तक श्री आर. के. जोगी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तक के लेखों की लेखापरीक्षा संपन्न की गई थी।

2- **<u>i इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>** -:

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **27.66 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: - **1,82,515 (2011 की जनसंख्या के अनुसार)**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: - **40**

(iv) नगर निगम द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **02**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: -**180**

(vii) नगर निगम की संपत्तियाँ: - **142 भवन एवं 637 दुकानें।**

(viii) नगर निगम के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:
(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:
(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:
(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **बजट विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
(अ) सामान्य :
(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ, बजट निगम बोर्ड से पारित हुआ है।**

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूडकी, जनपद-हरिद्वार का वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	37,418,697.00	61,575,000.00	98,993,697.00	1,896,381.00	97,097,316.00
2	राज्य वित्त आयोग	11,398,500.00	264,818,000.00	276,216,500.00	157,967,084.00	118,249,416.00
3	अवस्थापना विकास निधि	-	9,493,000.00	9,493,000.00	-	9,493,000.00
4	स्वच्छ भारत मिशन	478,632.00	10,461,255.00	10,939,887.00	688,413.00	10,251,474.00
5	Amrut yougna	36,450,424.00	369,000.00	36,819,424.00	1,188,122.00	35,631,302.00
6	एन.यू.एल.एम.	1,605,685.00	558,500.00	2,164,185.00	1,465,463.00	698,722.00
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	25,250.00	350,000.00	375,250.00	300,000.00	75,250.00
8	निगम निधि	17,823,915.00	71,257,707.00	89,081,622.00	47,168,837.00	41,912,785.00
9	ब्याज से प्राप्ति-NULM	145,760.00	79,446.00	225,206.00	-	225,206.00
10	ब्याज से प्राप्ति-PMSRY	7,679.00	12,009.00	19,688.00	-	19,688.00
11	ब्याज से प्राप्ति-swatch Bharat mission	-	91,662.00	91,662.00	-	91,662.00
12	interest Amrut yougna	370,569.00	1,507,488.00	1,878,057.00	-	1,878,057.00
13	Interest - Board Fund	129,308.00	968,969.00	1,098,277.00		1,098,277.00
	कुल योग	**105854419**	**421542036**	**527396455**	**210674300**	**316722155**

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूडकी, जनपद-हरिद्वार का वर्ष 2018-19 का आय-व्यय विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	97,097,316	85,250,000	182,347,316	40,063,185	142,284,131
2	राज्य वित्त आयोग	118,249,416	264,818,000	383,067,416	186,152,215	196,915,201
3	अवस्थापना विकास निधि	9,493,000	0	9,493,000	0	9,493,000
4	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय)	10,251,474	70,660	10,322,134	986,572	9,335,562
5	Amrut yougna	35,631,302	4,039,831	39,671,133	30,009,000	9,662,133
6	एन.यू.एल.एम.	698,722	384,000	1,082,722	563,452	519,270
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	75,250	2,400,000	2,475,250	900,000	1,575,250
8	निगम निधि	41,912,785	70,072,718	111,985,503	88,676,818	23,308,685
9	ब्याज से प्राप्ति- NULM	225,206	33,087	258,293	0	258,293
10	ब्याज से प्राप्ति- PMSRY	19,688	57,836	77,524	0	77,524
11	ब्याज से प्राप्ति- swatch Bharat mission	91,662	401,671	493,333	0	493,333
12	interest Amrut yougna	1,878,057	555,878	2,433,935	0	2,433,935
13	Interest - Board Fund	1,098,277	1,344,017	2,442,294		2,442,294
	कुल योग	**316,722,155**	**429,427,698**	**746,149,853**	**347,351,242**	**398,798,611**

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूडकी, जनपद-हरिद्वार का वर्ष 2019-20 का आय-व्यय विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	142,284,131	124,224,600	266,508,731	59,400,897	207,107,834
2	राज्य वित्त आयोग	196,915,201	267,021,000	463,936,201	229,082,149	234,854,052
3	अवस्थापना विकास निधि	9,493,000	0	9,493,000	0	9,493,000
4	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय)	9,335,562	12,902,123	22,237,685	2,760,100	19,477,585
5	Amrut yougna	9,662,133	0	9,662,133	797,980	8,864,153
6	एन.यू.एल.एम.	519,270	3,776,094	4,295,364	450,000	3,845,364
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	1,575,250	15,000	1,590,250	1,320,000	270,250
8	निगम निधि	23,308,685	47,182,270	70,490,955	45,154,324	25,336,631
9	ब्याज से प्राप्ति- NULM	258,293	45,259	303,552	0	303,552
10	ब्याज से प्राप्ति- PMSRY	77,524	31,872	109,396	0	109,396
11	ब्याज से प्राप्ति- swatch Bharat mission	493,333	627,460	1,120,793	0	1,120,793
12	interest Amrut yougna	2,433,935	459,842	2,893,777	0	2,893,777
13	Interest - Board Fund	2,442,294	1,722,680	4,164,974		4,164,974
14	जमानत राशि	0	0	0	0	0
15	कावड मेला	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
16	अलाव	0	32,000	32,000	0	32,000
	कुल योग	**398798611**	**459,140,200**	**857938811**	**338,965,450**	**518973361**

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूडकी, जनपद-हरिद्वार का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2017-18	स्वच्छ भारत मिशन	478,632	10,461,255	10,939,887	688,413	10,251,474
2018-19	स्वच्छ भारत मिशन	10,251,474	70,660	10,322,134	986,572	9,335,562
2019-20	स्वच्छ भारत मिशन	9,335,562	12,902,123	22,237,685	2,760,100	19,477,585
2017-18	Amrut yougna	36,450,424	369,000	36,819,424	1,188,122	35,631,302
2018-19	Amrut yougna	35,631,302	4,039,831	39,671,133	30,009,000	9,662,133
2019-20	Amrut yougna	9,662,133	0	9,662,133	797,980	8,864,153
2017-18	एन.यू.एल.एम.	1,605,685	558,500	2,164,185	1,465,463	698,722
2018-19	एन.यू.एल.एम.	698,722	384,000	1,082,722	563,452	519,270
2019-20	एन.यू.एल.एम.	519,270	3,776,094	4,295,364	450,000	3,845,364
2017-18	प्रधानमंत्री आवास योजना	25,250	350,000	375,250	300,000	75,250
2018-19	प्रधानमंत्री आवास योजना	75,250	2,400,000	2,475,250	900,000	1,575,250
2019-20	प्रधानमंत्री आवास योजना	1,575,250	15,000	1,590,250	1,320,000	270,250

भाग-2 'अ'

प्रस्तर-01: निगम परिक्षेत्र में स्थापित विभिन्न विधुत देयकों के भुगतान में विलम्ब के कारण देयकों के साथ LastPaymentSurcharge की धनराशि ₹ 24 लाख अनावश्यक विलम्ब।

नगर निगम रुड़की के अंतर्गत विभिन्न स्थानो तथा सडको एवं गलियों मे स्थापित स्ट्रीट लाइटो के लिये स्थापित विधुत संयोजन का रख रखाव एवं उनके विधुत देयकों का भुगतान किया जाता है। विधुत देयकों के भुगतान संबंधी अभिलेखो की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा स्ट्रीट लाइट के कुल (12+31) 43 विधुत संयोजनों के विधुत देयकों के भुगतान में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है जिस कारण देयकों के साथ LatePaymentSurcharge सम्मिलित कर देयक प्रस्तुत किये जाते है, तदनुसार कार्यालय नगर निगम रुड़की द्वारा विधुत देयकों का भुगतान किया जाना था। सम्मलित साथ के देयक के लाइटो स्ट्रीट तक 31.12.2019 LatePaymentSurcharge का विवरण निमन्वत है :

क्रम सं0	विधुत संयोजन संख्या	विधुत का मून्ल (31.12.20 तक)	LPS 31.12.20 तक	देयक की कुल धनराशि 31.12.20 तक
1.	685STL1712373	50252	37576	87827
2.	685STL1712375	196715	25501	222216
3.	685STL1712377	231375	41723	273098
4.	685STL1712376	325009	57761	382770
5.	685STL1712378	127716	22201	149917
6.	685STL1712381	207149	33726	240875
7.	685STL1712388	222679	33041	255720
8.	685STL1712389	189109	57745	246854
9.	685STL1712396	433143	80861	514004
10.	685STL1712397	287159	57029	344188
11.	685STL1712398	176326	26458	202784
12.	685STL1712416	101561	33280	134841
13.	685STL1712417	209802	35160	244962
14.	685STL1712418	138749	20447	159196
15.	685STL1712419	234173	43698	277871
16.	685STL1712420	67747	19597	87344
17.	685STL1712421	843795	178114	1021909
18.	685STL1712424	64795	16360	81155
19.	685STL1712409	604800	322485	927285
20.	685STL1712410	473139	117833	590972
21.	685STL1712411	182081	40671	222752
22.	685STL1712412	726647	108892	835539
23.	685STL1712413	405696	86749	492445
24.	685STL1712414	83504	16871	100376
25.	685STL1712399	570284	110442	680726
26.	685STL1712401	204886	47247	252133
27.	685STL1712402	50340	38480	88820
28.	685STL1712403	130079	38587	168666
29.	685STL1712404	412699	82996	495695
30.	685STL1712408	108665	19864	128529
31.	685STL1712415	115750	27441	143191
32.	RM5STL3712374	121579	27180	148759
33.	RM5STL3712382	151765	47541	199306
34.	RM5STL3712383	342731	78347	421078
35.	RM5STL3712384	332036	86036	418072
36.	RM5STL3712385	329803	68599	398402
37.	RM5STL3712386	276352	52753	329105
38.	RM5STL3712387	72337	12977	85314

39.	RM5STL3712390	113111	32737	145848
40.	RM5STL3712391	196392	31964	228356
41.	RM5STL3712392	95009	25547	120556
42.	RM5STL3712393	120359	27554	147913
43.	RM5STL3712395	145178	29760	174938
	योग	**1,04,72,476**	**23,99,831**	**1,28,72,307**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाइट के विधुत संयोजनों के सापेक्ष विधुत विभाग के अधिशासी अभियंता, विधुत वितरण खण्ड (नगरीय) रुड़की द्वारा 31 संयोजन तथा अधिशासी अभियंता, विधुत वितरण (रामनगर) रुड़की द्वारा 12 संयोजन के विधुत देयक का प्रत्येक माह नियमित रूप से भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये थे, परंतु कार्यालय द्वारा इन देयकों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया गया था। 31.12.2020 तक विधुत देयको में 43 विधुत संयोजनों के देयक की धनराशि ₹ 128.23 लाख के सापेक्ष धनराशि ₹ 24 लाख का Late Payment Surcharge आरोपित किया गया था। यदि विधुत देयको का भुगतान नियमित रूप से प्रत्येक माह किया गया होता तो इस प्रकार के अनियमित भुगतान से बचा जा सकता था और इस धनराशि को अन्य विकास कार्यों पर व्यय किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि निगम की जो संपातियाँ विधुत विभाग रुड़की के कब्जे में है अभिलेखो के अनुसार विधुत विभाग द्वारा निगम को ₹ 8,12,32,159/- का भुगतान न किया जाने के कारण निगम द्वारा भी विधुत बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि जब तक विधुत देयकों का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक Last Payment Surcharge प्रत्येक माह बढता जाएगा।

अतः निगम परिक्षेत्र में स्थापित विधुत देयकों के भुगतान न किए जाने के कारण Last Payment Surcharge की धनराशि ₹ 24 लाख का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-01: ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली के प्रावधानों का पूर्ण रुप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाना।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग-अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू-भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू-भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

उपरोक्त के अलावा **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016** के **बिन्दु 15(1)(यघ)** के अनुसार निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के हथालन में लगे सभी कार्मिको को उपलब्ध करायेगा और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा, **बिन्दु 15 (1)(यक) एवं (यख)** के अनुसार नगरीय प्राधिकारी प्रारूप IV में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट निदेशक, शहरी विकास को दिनांक 30 अप्रैल एवं सचिव, शहरी विकास विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 31 मई तक प्रेषित करेगा, **बिन्दु 15 (1)(ठ)** के अनुसार निकाय अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रशिक्षण देगा, **बिन्दु 25** के अनुसार यदि किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या सुविधा केन्द्र या भराव भूमि स्थल पर कोई दुर्घटना होने की दशा में, तब सुविधा का प्रभारी अधिकारी प्रारूप-VI में घटना की रिपोट स्थानीय निकाय को भेजेगा, बिन्दु 15(1)(म एवं य) के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जायेगा।

नगर निगम, रुडकी जनपद हरिद्वार के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर निगम द्वारा उक्त नियमावली 2016 के क्रम में अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2019 बनायी गयी है जिसका गजट प्रकाशन भी किया जा चुका है। निगम परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 104.00 मीट्रिक टन अपशिष्ट के सापेक्ष 104.00 मीट्रिक टन अपशिष्ट को सम्बद्ध 618 सफाई कार्मिकों के माध्यम से घरों से संग्रहित किया जा रहा था। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि निगम परिक्षेत्र के सभी 40

वार्डो से छोटे वाहनों के माध्यम से द्वार द्वार संग्रहण के समय कूडे को अलग अलग सूखा एवं गीले कूडे का संग्रहण किया जाता है किन्तु इस सभी कूडे को नगर निगम क्षेत्र से 07 किमी दूर सालियर खाता में स्थित डम्पिंग जोन में एक साथ गिरा दिया जाता है तथा जिसका कोई वैज्ञानिक निस्तारण नहीं किया जाता। इससे स्पष्ट होता है कि निगम द्वारा कूडे का अलग अलग सूखा एवं गीला के रुप में संग्रहण का कोई औचित्य नहीं है। यह भी पाया गया कि ट्रंचिग ग्राउण्ड में संकलित किसी भी कूडे का वैज्ञानिक रुप से निदान नहीं किया जाता है और न ही किसी प्रकार से कम्पोष्ट पिट के माध्यम से ही खाद बनाने की कोई कार्य किया जाता है। अतः सभी कूडा कई वर्षो से अत्यधिक मात्रा में एक ही जगह एकत्र होने से आस पास के गॉवों में निवास करने वाले निवासियों को गंध एवं प्रदूषण आदि के दुष्प्रभावों को निगम की उदासीनता के कारण अनावश्यक रुप से झेलना पड रहा होगा। यह भी पाया गया कि नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की प्रक्रिया एवं भू-भरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र भी प्राप्त नही किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि कि कूडे से विजली बनाने के लिए विजली उत्पादन संयन्त्र स्थापित करने हेतु डी.पी.आर. तैयार कर शासन से स्वीकृत की जा चुकी है। जिसके निर्माण के लिए वर्तमान में निविदा प्रक्रिया आयोजित की जा रही है।

अतः ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का पूर्ण रुप से अनुपालन न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-02: नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योजना का उचित क्रियान्वयन न किया जाना।

शासनादेश सं 21/ xxvvi (7) अ.पे.यो/ 2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 01 अक्टूबर 2005से नयी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी, जिसके अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का अंशदान किया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्यसरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्थाद्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के विषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुरक्षित निवेश किया जाय ताकि जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाय।

इकाई के नयी अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि :-

(1) कर्मचारियों को अतिथि)11/2020 तक (PRAN आवंटित नहीं हुए थे ।

(2) संबन्धित कर्मचारियों का पेंशन अंशदान व सेवायोजक का अंशदान काट कर भारतीय स्टेट बेंक के बचत खातों में जमा किया जा रहा था जिनमें मिलने वाला ब्याज सामान्य भविष्य निधि पर देय न्यूनतम ब्याज से काफी कम है। इसके कारण कर्मचारियों को आर्थिक हानि हो रही था ।

(3) संबन्धित पास बुकों में 06/2018 से पहले की प्रविष्ठी न होने से ये स्पष्ट नहीं था कि कर्मचारियों को योजना का लाभ कब से मिल रहा था । क्योंकि यदि कर्मचारियों को लाभ 01 अक्तूबर 2005 या उनकी नियुक्ति तिथि (जो भी बाद में हो) से नहीं मिला था तो इस धनराशि के एरिअर को कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जमा किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित क्यी जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि इस विषय मे आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योजना का उचित क्रियान्वयन न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-03: अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत धनराषि ₹ 94.93 लाख के 19 निर्माण कार्य का निर्माण नहीं कराया जाना तथा धनराषि ₹ 68.58 लाख इकाई स्तर पर अवरुद्ध रहना।

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय ने अपने पत्र दिनांक 22 मार्च 2018 के माध्यम से नगर निगम रुडकी परिधि क्षेत्र में अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत 19 निर्माण कार्यो का प्रस्ताव/ आगणन लागत धनरा।शि ₹ 94.93 लाख शासन को प्रेषित किया गया। उत्तराखण्ड शासन ने शासनादेश संख्याः328/IV(2)-श0वि0.2018 दिनांक 24 मार्च 2018 के माध्यम से उक्त निमार्ण कार्यो के आगणनों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि ₹ 94.93 लाख निदेशक को इस निर्देश के साथ कि सम्पूर्ण धनराशि का आहरण कर नगर निगम, रुडकी को चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाय, अवमुक्त किया गया था। शासनादेश में अन्य शर्तो के साथ यह भी निर्देशित किया कि निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी। स्वीकृत कार्यो में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। निर्माण कार्य का भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाएगा।

नगर निगम रुडकी के अवस्थापना विकास निधि के अर्न्तगत स्वीकृत कार्यो एवं अवमुक्त धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास द्वारा शासन से स्वीकृत धनराशि का आहरण कर दिनांक 13.06.2018 को इकाई के अवस्थापना विकास निधि नाम से खोले गये बैंक खाते में जमा करा दिया गया था। धनराशि प्राप्त होने से वर्तमान तक $2^{1/2}$वर्ष व्यतीत होने के बाद भी किसी भी कार्य का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा सम्बन्धित धनराशि इकाई के बैंक खाते में अवरुद्ध पडा है।

इकाई द्वारा उक्त निर्माण कार्यो के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित किये जाने से पूर्व माह नवम्बर 2020 में सहायक अभियन्ता सहित तीन सदस्यीय समिति द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत 19 निर्माण कार्यो में से ₹ 59.98 लाख से निर्मित होने वाले 12 कार्यो का निर्माण अन्य विभाग/एजेन्सी द्वारा सम्पादित कराया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि इकाई द्वारा अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत इन कार्यो के निर्माण के लिए उदासीन रवैया अपनाया गया। यह भी पाया गया कि उक्त जमा धनराशि पर वर्तमान तक ₹ 8,59,680 का व्याज अर्जित हुआ है। इस प्रकार से अन्य एजेन्सी द्वारा निष्पादित कार्य की धनराशि रु0 59.98 लाख एवं ब्याज की धनराशि ₹ 8.60 लाख कुल धनराशि ₹ 68.58 लाख राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए था, जो कि वर्तमान तक इकाई द्वारा नहीं किया गया तथा धनराशि इकाई के बैंक खाते में अवरुद्ध पडा है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि कुल स्वीकृत 19 कार्यो के सापेक्ष 12 कार्य अन्य एजेन्सी/विभाग द्वारा सम्पादित किये जा चुके है शेष कार्यो के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा कार्य आदेश जारी किया जाना शेष है। यह भी अवगत कराया कि अर्जित ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करा दिया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया उपरान्त शेष कार्यो के स्थान परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जाएगा। शेष कार्यो के स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा निश्चित कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी जिसका स्थान परिवर्तन नियमानुसार सही नहीं होगा।

अतः अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि ₹ 94.93 लाख के 19 निर्माण कार्य का निर्माण नहीं कराये जाने तथा निर्माण न किये जाने वाले कार्यो से सम्बन्धित धनराशि तथा ब्याज की धनराशि ₹ 68.58 लाख इकाई स्तर पर अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-04: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति न किया जाना।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा माह जून 2015 में शहरों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं (अर्थात् जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज एवं शहरी परिवहन) एवं सुख सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से 05 वर्ष की मिशन अविधि हेतु किया गया था, जिससे विशेषतया गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार हो सके। अमृत मिशन का मुख्य उद्देश्य (i) जलापूर्ति (ii) सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन (iii) बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले (iv) पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल और (v) विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों और पार्कों और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों का भव्यता बढ़ाना था।

कार्यालय, नगर निगम, रूड़की के अमृत योजना से संबंधित लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या 525/IV(2)श.वि.-2017-39(सा.)18 दिनांक 21 मई 2018 के द्वारा नगर निगम, रूड़की को तीन पार्कों (1. नगर निगम, रूड़की के अंतर्गत केशव पार्क, रामनगर का निर्माण, 2. नगर निगम, रूड़की के अंतर्गत मालवीय पार्क, साकेत का निर्माण तथा 3. नगर निगम, रूड़की के अंतर्गत नारायण पार्क, आवास विकास कालोनी का निर्माण) के निर्माण हेतु ₹ 52.71 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त तीनों निर्माण कार्यों को पूर्ण कर मार्च 2019 तक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जाना था। उक्त निर्माण कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित रूप से हैः-

कार्य का नाम	आगणन की धनराशि (₹लाख में)	अनुबन्ध की धनराशि (₹ में)	कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	अघतन व्यय (₹ में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)
नगर निगम, रूड़की के अंतर्गत केशव पार्क, रामनगर का निर्माण	14.78	1211960	28.09.2018	28.01.2019	199901	**अपूर्ण**
नगर निगम, रूड़की के अंतर्गत मालवीय पार्क, साकेत का निर्माण	6.78	474600	28.09.2018	28.01.2019	188141	**अपूर्ण**
नगर निगम, रूड़की के अंतर्गत नारायण पार्क, आवास विकास कालोनी का निर्माण	12.39	854910	17.09.2018	17.01.2019	401047	**अपूर्ण**
				कुल	**789089**	

नगर निगम, रूड़की के अंतर्गत केशव पार्क, रामनगर के निर्माण हेतु न्यूनतम निविदा दर ₹12,11,960/- पर दिनांक 28.09.2018 को मै. जय बालाजी कान्ट्रेक्टर, रूड़की, मालवीय पार्क के निर्माण

हेतु न्यूनतम निविदा दर ₹4,74,600/- पर दिनांक 28.09.2018 को मै. शाकुम्बरी ट्रेडर्स, रूड़की को तथा नारायण पार्क के निर्माण हेतु न्यूनतम निविदा दर ₹ 854910/- पर दिनांक 19.09.2018 को मै. शाकुम्बरी ट्रेडर्स, रूड़की को प्रदान किया गया था। उक्त तीनों निर्माण कार्यों हेतु जारी निविदा प्रपत्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य निर्धारित अवधि (4 माह) में अवश्य पूर्ण कर लिया जाना था जबकि उक्त कार्यों के ठेकों से संबंधित नियम एवं शर्तों में कार्य पूर्ण करने की तिथि अंकित नहीं की गई थी जिससे उक्त निर्माण कार्यों के देरी से पूर्ण होने की आशंका से इंकार भी नहीं किया जा सकता। अमृत योजना में निगम के खाते में धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी निर्माण कार्यें को समय पर पूर्ण नहीं किया गया। आगे, लेखा-अभिलेखों में पाया गया कि अनुबंध में निर्माण कार्यों में विलंब की दशा में किसी दण्ड संबंधी प्रावधान नहीं किए गए थे। आतिथि उक्त तीनों निर्माण कार्य अपूर्ण थे तथा नगर निगम क्षेत्र में पार्क पूर्ण रूप से नहीं बनने से वहां के नागरिकों को आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित होना पडा, जिनके लिए योजना मूलतः प्रस्तावित की गई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की द्वारा अवगत कराया कार्यों के अनुबंधों का अन्तिमिकरण नहीं किया गया है। अन्तिमिकरण के समय कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य समय पर न किए जाने के संबंध में दण्ड तय किया जाता है तो दण्ड की कटौती की जाएगी। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्यों को दिसम्बर 2018 तक पूर्ण किए जाने थे परंतु लगभग समय से दो वर्ष अधिक व्यतीत हो जाने तथा 7.89 लाख व्यय हो जाने के बाद भी उक्त तीनों निर्माण कार्य अपूर्ण थे।

अतः अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के उद्देश्यों की पूर्ति न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-05: निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों से रॉयल्टी की वसूली नहीं किए जाने से ` 3.93 लाख के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा रायल्टी हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 में राज्य के परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर संशोधन किए गये। उक्त संशोधनों के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर एवं इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिए दिनाँक 07.08.2015 से ₹ 90.00 प्रति घन मीटर के स्थान पर ₹ 200.00 प्रति घन मीटर, जिस पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.12.2015 रोक लगाई गई एवं पुरानी दरों पर ही रायल्टी वसूलने हेतु आदेशित किया गया। शासन द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 10.12.2015 के पश्चात् दिनाँक 26.02.2016 से 18.05.2016 तक ` 200.00 प्रति घन मीटर के स्थान पर ₹ 194.50 प्रति घन मीटर एवं दिनाँक 19.05.2016 से ₹ 194.50 प्रति घन मीटर के स्थान पर **₹ 154.00** प्रति घन मीटर कटौती दरें निर्धारित की गई थी।

कार्यालय, नगर निगम, रूड़की के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त योजना से संपन्न कराए गए निर्माण कार्यों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 108.12 लाख से कराए गए **35** निर्माण कार्यों पर खनिज पदार्थों जैसेः पत्थर, बालू एवं ग्रिट जो ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लाए गए हैं, पर उपयोग की गई सामग्री पर रायल्टी नहीं काटी गई थी अपितु निगम के अभियंता द्वारा प्रत्येक निर्माण कार्य में एक **Royalty Deduction Chart** लगाया जा रहा था जिसमें यह अंकित किया जा रहा था कि संबंधित निर्माण कार्यों पर कितना धन मीटर खनिज प्रयुक्त किया गया एवं उसके सापेक्ष कितनी रॉयल्टी देय हुई। लेकिन रॉयाल्टी कटौती से संबंधित **"Form J"** (sample copy enclosed) किसी भी निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखों में नहीं लगाए गए थे। परिणामस्वरुप ₹ 3.93 लाख (**संलग्नकानुसार**) की रायल्टी की वसूली देयकों से नहीं की गई जबकि ठेकेदार द्वारा कराए गए प्रत्येक निर्माण कार्यों पर उपयोग किए गए खनिज पदार्थों के देयकों से रॉयाल्टी जमा कराई जानी चाहिए थी। रायल्टी की वसूली या जमा न किया जाना न केवल ठेकेदार को अदेय लाभ पहुंचाना हुआ अपितु शासन को भी **₹ 3.93 लाख** के राजस्व की हानि हुई।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि भविष्य में नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक निर्माण कार्यों के बिलों से रॉयल्टी की कटौती की जानी थी या प्रयुक्त हुए संबंधित खनिजों के रॉयाल्टी कटौती से संबंधित **"Form J"** प्रपत्र संलग्न किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों से रॉयल्टी की वसूली नहीं किए जाने से ₹ 3.93 लाख के राजस्व की हानि से संबंधित प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

कार्यालय, नगर निगम, रूड़की द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्रीय वित्त योजना एवं राज्य वित्त योजना से कराये गये निर्माण कार्यो के भुगतान स्वरूप रॉयल्टी की कटौती नियमानुसार न किये जाने का विवरणः

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	निर्माण कार्य का नाम	व्यय धनराशि (`लाख में)	इकाई द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रयुक्त किए गए उपखनिज की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी कटौती की दर (प्रति घन मीटर में)	कार्य के सापेक्ष रॉयल्टी की कुल धनराशि (` में)
01	2019-20	14 वां वित्त आयोग	हनुमान कॉलोनी में चन्द्रशेखर के मकान से अजय त्यागी के मकान तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य	2.97	62.42	154.00	9613
02	2019-20	14 वां वित्त आयोग	गंगोत्री कुंज पनियाला रोड से नासली व पुलिया निर्माण कार्य	3.40	49.70	154.00	7654
03	2019-20	14 वां वित्त आयोग	देहरादून रोड पर डा. विनय विशाल अस्पताल के पीछे नेहरू नगर में सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य	3.81	82.17	154.00	12654
04	2019-20	14 वां वित्त आयोग	सुभाष नगर पनियाला रोड में श्री गिरीश चन्द्र उनियाल के मकान से श्री अरूण गुप्ता के मकान की ओर सी.सी. व नाली निर्माण कार्य	2.66	89.29	154.00	13751
05	2019-20	14 वां वित्त आयोग	सुभाष नगर पनियाला रोड से वासुदेव पन्त जी के मकान की ओर सी. सी. कार्य	3.68	94.71	154.00	14585
06	2019-20	14 वां वित्त आयोग	मौ. गणेशपुर विनायक कुंज में सूर्याकाना के मकान से प्रतीक अरोड़ा के मकान की ओर सी.सी. का निर्माण कार्य	2.14	62.40	154.00	9610
07	2019-20	14 वां वित्त आयोग	शिव विहार में श्री उपेन्द्र के मकान से श्री सोनू के मकान तक सड़क व नाली निर्माण	4.07	11.98	154.00	1845
08	2019-20	14 वां वित्त आयोग	शिव पुरम में पूर्वी गली नं. 10 से डालचन्द्र के मकान की ओर उत्तर दिशा की सड़क व नाली निर्माण	3.32	25.71	154.00	3959
09	2019-20	14 वां वित्त आयोग	मौ. शिवपुरम में गली नं. 1 में श्री विरेन्द्र रावत वाली गली में सी.सी. निर्माण कार्य	6.35	233.35	154.00	35936
10	2019-20	14 वां वित्त आयोग	सुभाष नगर में संतोषी माता मंदिर के सामने सुधीर त्यागी वाली गली में सी.सी. व नाली का निर्माण कार्य।	4.39	162.01	154.00	24950

11	2019-20	14 वां वित्त आयोग	गणेशपुर विनायक कुंज में श्री सूर्यकान्त के मकान से श्री ललित अरोड़ा के मकान तक सी.सी. निर्माण कार्य	4.84	104.69	154.00	16122
12	2019-20	14 वां वित्त आयोग	शिवपुरम गली नं. 9 में पुलिया निर्माण का कार्य	1.53	26.49	154.00	4080
13	2019-20	14 वां वित्त आयोग	गोविन्द नगर में श्री बालकृष्ण गर्ग के मकान से सत्यनारायण मंदिर की ओर सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	14.68	322.71	154.00	49697
14	2019-20	14 वां वित्त आयोग	जेल रोड तुषार गेट के पास शौचालय/मुत्रालय का निर्माण कार्य	4.19	24.08	154.00	3708
15	2019-20	14 वां वित्त आयोग	सैनिक कॉलोनी में श्री जगदीश बहुगुणा के मकान से श्री गौतम गंभीर के मकान तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.69	71.64	154.00	11033
16	2019-20	राज्य वित्त आयोग	अशोक मार्ग पर वैशाली मण्डप के सामने हायूम पाइप डालने का कार्य	1.84	22.30	154.00	3434
17	2019-20	राज्य वित्त आयोग	माहिग्रान बन्धा रोड पर आफताब के मकान से मनत्वर के मकान तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण	2.10	38.46	154.00	5923
18	2019-20	राज्य वित्त आयोग	सरस्वती विहार में अशोक कुमार के मकान से पंडित जी के मकान तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण	2.10	60.62	154.00	9335
19	2019-20	राज्य वित्त आयोग	शिवपुरम गली नं 7 पूर्वी में सड़क के अवशेष भाग का निर्माण कार्य	2.36	60.75	154.00	9356
20	2019-20	राज्य वित्त आयोग	शास्त्री नगर गली न. 1 ए में रामकुमार के मकान से सोहन सिंह के मकान की ओर सी.सी.सड़क निर्माण कार्य।	2.44	63.22	154.00	9736
21	2019-20	राज्य वित्त आयोग	नगर निगम रूड़की क्षेत्र के विभिन्न पार्कों के अंतर्गत झूले लगाने का कार्य	2.19	56.40	154.00	8686
22	2019-20	राज्य वित्त आयोग	सलियर में सेग्रीगेशन हाल के फर्श व पार्टीशन का कार्य	2.36	54.89	154.00	8453
23	2019-20	राज्य वित्त आयोग	सिविल लाइन में साई बाबा मंदिर के पास सी.सी. व नाली मरम्मत का कार्य।	2.33	50.62	154.00	7795
24	2019-20	राज्य वित्त आयोग	पनियाला रोड पर ऐसार पेट्रोल पम्प के सामने डा. नरेश के मकान से वर्थवाल के मकान तक सी.सी. सड़क का कार्य	1.88	42.01	154.00	6470
25	2019-20	राज्य वित्त आयोग	कानूगोयान में मस्जिद से रामा के मकान तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	2.40	58.91	154.00	9072
26	2019-20	राज्य वित्त	मौ. सत्ती में लोहारों वाली गली मस्जिद के पास शादाब के मकान	2.38	53.02	154.00	8165

		आयोग	से खालिक के मकान की ओर सी.सी. सड़क व नाली निर्माण				
27	2019-20	राज्य वित्त आयोग	खजरपुर रोड पुलिया से शौभित गौतम के मकान की ओर क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत कार्य	2.23	22.30	154.00	3434
28	2019-20	राज्य वित्त आयोग	माजरे में मेन रोड पर मंदिर के सामने सी.सी. रोड का निर्माण	1.86	49.68	154.00	7651
29	2019-20	राज्य वित्त आयोग	शिवपुरम गली नं. 8 पश्चिम में सी.सी. सड़क के अवशेष भाग का निर्माण कार्य	1.41	22.30	154.00	3434
30	2019-20	राज्य वित्त आयोग	नगर निगम रूड़की क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों में चैनल लगाने का कार्य	2.30	35.68	154.00	5495
31	2019-20	राज्य वित्त आयोग	सालियार में सेग्रीगेशन दिवार का निर्माण कार्य	2.21	54.42	154.00	8381
32	2019-20	राज्य वित्त आयोग	सालियार स्थित ट्रेन्चीन्ग ग्राउण्ड में कंपोटिंग पिट बनाने का कार्य	2.15	26.26	154.00	4044
33	2019-20	राज्य वित्त आयोग	वार्ड नं. 37 पुरानी तहसील में दीपाली गैस एजेन्सी के पास पेच वर्क व नदी नंदी ग्राफिक के पास सी.सी. सड़क रिपेरिंग कार्य	2.87	122.53	154.00	18870
34	2019-20	राज्य वित्त आयोग	सलेमपुर रोड पर क्षतिग्रस्त भाग में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	2.99	107.35	154.00	16532
35	2019-20	राज्य वित्त आयोग	सलेमपुर में राकेश कश्यप् की दुकान से जयपाल के मकान की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य		99.55	154.00	19362
कुल				**108.12**	**2524.62**		**392825**

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-06: द्वार द्वार अपशिष्ट संग्रहण के लिए यूजर चार्जेज के रुप में किसी धनराशि की वसूली न किये जाने से वित्तीय वर्ष में निगम को ₹ 233.86 लाख की हानि।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निकाय इस अधिसूचना के जारी होने के एक वर्ष के भीतर उपविधियां बनाकर तद्नुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है जिसमें क्षेत्र के अन्तर्गत सभी वस्तियों, अनौपचारिक बसावटों व अन्य सभी घरों, आवासों व परिसरों से ठोस अपशिष्ट का द्वार द्वार संग्रहण की व्यवस्था करना, Source segregation, transportation, composting and disposal किया जाना है।

नगर निगम रुडकी द्वारा निगम के क्षेत्रांतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 03 वर्ष विलम्ब से रुडकी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपनियम 2019 का गठन किया गया जो कि गजट प्रकाशन की तारीख 17 जुलाई 2020 से प्रभावी है। उक्त उपनियम में डोर टू डोर कूड संग्रहण के लिए विभिन्न मदों हेतु यूजर चार्जेज की दरे निर्धारित की गयी है। इकाई के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इकाई द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत 40 वार्डो में ठोस अपशिष्ट का द्वार संग्रहण किये जाने के सापेक्ष रिहायसी मकानों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है जबकि कूडा संग्रहण के लिए सम्बद्ध कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों तथा वाहनों के संचालन आदि परवर्ष 2019-20 में धनराशि ₹ 8.17 करोड का व्यय किया गया हैं। यदि उपविधि ससमय बनाया गया होता तो निगम को उपविधि में प्रबन्धन के लिए निर्धारित की गयी दरों से शुल्कों का संकलन करने से उक्त अवधि में निम्न विवरणानुसार धनराशि ₹ 233.86 लाख की आय होती, जिसे कूडा प्रबन्धन कार्यो पर व्यय किया जा सकता था। अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड को प्रेषित की गयी वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार नगर परिक्षेत्र में कुल 22681 आवासीय मकानों, 2123 दुकानें, 56 होटल, 32 सरकारी संस्थान तथा 101 प्राइवेट संस्थानों से कूडा का संग्रहण किया जाता है। उपविधि में दिये गये शुल्क के अनुसार अपेक्षित मॉग का विवरण निम्नवत् है;

(धनराशि ₹ लाख में)

आवासीय भवन			**दुकानें**			**होटल**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
संख्या	**दर**	**वार्षिक मॉग**	**संख्या**	**दर**	**वार्षिक मॉग**	**संख्या**	**दर**	**वार्षिक मॉग**
22681	@ `*60*	163.30	2123	@ `*200*	50.95	56	@ `*1000*	6.72

सरकारी संस्थान			**प्राइवेट संस्थान**			
10	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16 (3+6+9+12+15)**
संख्या	**दर**	**वार्षिक मॉग**	**संख्या**	**दर**	**वार्षिक मॉग**	**कुल वार्षिक मॉग**
32	@ `*200*	0.77	101	@ `*1000*	12.12	233.86

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपविधि में निर्धारित न्यूनतम दरों के आधार पर उक्त अवधि में धनराषि रु0 233.86 लाख की आय होनी चाहिए थी, परन्तु निगम की उदासीनता के कारण उक्त आय से निगम को वंचित होना पडा। उक्त आय से निगम परिक्षेत्र की सफाई व्यवस्था में होने वाली अत्यधिक व्यय की प्रतिपूर्ति इस मद से की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि वर्ष 2017 में उपविधि बोर्ड से पास करा दी गयी थी जो SWM Rules, 2000 पर आधारित थी तत्पश्चात 2019 में

शासन के निर्देशानुसार समस्त नगर निगमों में इस अनुसार संशोधनों सहित उपविधि नगरीय ठोस उपशिष्ट प्रबन्धन एवं कूडा निस्तारण उपविधि 2019 को विधिवत प्रक्रिया अपनाकर बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त गजट में प्रकाशन भी कराया जा चुका है। जिसके क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि यह उपविधि ससमय बनायी गयी होती हो निगम को यूजर चार्ज के रुप में ₹ 233.86 लाख की आय होती।

अतः द्वार द्वार अपशिष्ट संग्रहण के लिए यूजर चार्जेज के रुप में किसी धनराषि की वसूली न किये जाने से वित्तीय वर्ष में निगम को ₹ 233.86 लाख की हानि होने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तरः 07 नियमों के विपरीत कर्मचारियों तथा वितरकों को अग्रिमों का भुगतान तथा 06 से 30 माह बीत जाने के बाद भी ₹ 1.68 लाख के अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।

उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका (उत्तराखण्ड में लागू) Vol. V, लेखा नियम, भाग I, अध्याय XIII के नियम 312 के अनुसार **ठेकेदारो व वितरकों को अग्रिम दिया जाना एक नियम के रूप में निषिद्ध है तथा ऐसी हर व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत वास्तव में किए गए कार्यों को छोड़कर कोई भुगतान न हो । इसी के तारतम्य में नियम 312(b) के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को किसी कार्य के भुगतान हेतु कोई धनराशि दी जाती है तो संबन्धित कर्मचारी द्वारा दो माह के अन्दर उपरोक्त धनराशि का समायोजन बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए |**

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 263/XXVII(26)/2010 दिनांकित 25 नवम्बर 2010 के द्वारा यह निर्देश दिये गए थे कि "**महालेखाकर (लेखापरीक्षा) द्वारा आपत्ति इंगित किए जाने पर तत्काल ही उस पर कार्यवाही की जाए ।"**

कार्यालय नगर निगम रुड़की की अग्रिम पंजिका की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा विभिन्न प्रशासनिक व्ययों/अन्य कार्यों हेतु संबन्धित कर्मचारियों/ ठेकेदारों को समय-समय पर अग्रिम दिये गए हैं। इकाई द्वारा अग्रिम पंजिका को किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं कराया गया है। अग्रिम पंजिका में कुल **₹1,67,861/-**की धनराशि लेखापरीक्षा तिथि तक असमायोजित थी जिसका विवरण निम्नवत है: -

क्र.सं .	अग्रिम प्राप्तकर्ता का नाम	अग्रिम का उद्देश्य	अग्रिम धनरा (₹ में)	वाउचर सं	अग्रिम की तिथि
01	श्री नरेश कुमार, कनिष्ठ अभि	वाहनों में आकस्मिक मरम्मत हेतु	443	71	05/2018
02	श्री श्री नरेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता	भगवान विश्वकर्म जयंती मनाने हेतु	21000	43	11/2018
03	श्री राजीव भटनागर	स्वच्छता सर्वेक्षण कार्य हेतु	25000	156	12/2018
04	श्री आर के अग्रवाल	बेट्री हेतु अग्रिम(क्रय करने के लिए)	2988	200	04/02/20
05	श्री संजय, संविदा ड्राइवर	वाहन पंजीकरण हेतु	15000	161	23/08/2006
06	श्री नरेश कुमार, कनिष्ठ अभि	वाहनों में आकस्मिक मरम्मत हेतु	3430	56	03/2018
07	पंजाब अलकालाइज एंड केमिकल लिमिटेड	सोडियम हाइपोक्लोराइड के क्रय हेतु	100000	94	03/2020
कुल अग्रिम					**167**

उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 06 तक के अग्रिमों के बारे में पूर्व लेखापरीक्षा द्वारा भी इंगित किया गया था परंतु इस विषय में कृत कार्यवाही का कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उपरोक्त के संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि यथाशीघ्र समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 06 से 30 माह बीत आने के बाद भी इकाई द्वारा अग्रिमों के समायोजन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था जबकि शासनादेशों के अनुसार अग्रिमों के समायोजन के लिए समय सीमा केवल दो माह है। इसके अतिरिक्त पूर्व लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति दर्शाने के उपरांत भी इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः नियमों के विपरीत कर्मचारियों तथा वितरकों को अग्रिमों का भुगतान तथा 06 से 30 माह बीत जाने के बाद भी अग्रिमों का समायोजन न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-08: विभिन्न आय मदों के अंतर्गतधनराशि ₹ 199.78 लाख के करो की लंबित वसूलियाँ।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम – 1916 (जो उत्तराखंड में भी लागू है) के अध्याय – 5 की धारा 128(1) के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर आरोपित कर उसे वसूल करेगी, ताकि निकाय की आय में वृद्धि हो सके, एवं प्राप्त धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकें। शासन के पत्रांक -760/श0वि0नि0 -1213/ आधी0नि0-2008 दिनांक 17.07.2014 के द्वारा निकायों को निर्देशित किया गया था कि **निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाये ।**

नगर निगम रुड़की, जनपद-हरिद्वार के गृहकर तथा भवन/दुकान किराये से संबंधी अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा, 2019-20 में **संलग्नक - अ** के अनुसार गृहकर एवं भवन/दुकान किराये मद से वसूली की गई। **संलग्नक – अ** से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर उक्त मदों की कुल बकाया धनराशि `199.78 लाख कीवसूल किया जाना अवशेष है। आगे जांच में यह भी पाया कि इकाई द्वारा गृहकर मद में 81 प्रतिशत से 54 प्रतिशत, तथा भवन/दुकान किराया मद में 93 प्रतिशत से 67 प्रतिशत की वसूली की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त गृहकर मांग एवं वसूली संबंधी उपलब्ध करायी सूचना की जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में वार्षिक मांग की पूर्व वर्ष की तुलना में कोई बदोतरी दर्ज नहीं की गयी जबकि वसूली गत वर्ष की भांति बहुत कम परिलक्षित हो रही है। इसी प्रकार से भवनों/दुकानों से मांग एवं वसूली के विवरण से ज्ञात होता है कि वार्षिक मांग में वर्ष 2017-18 में पूर्व वर्ष की तुलना में कोई बदोत्तरी दर्ज की गयी है। क्या उक्त अवधि में निगम की संपातियों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है अथवा किराया की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है । इस संबंध में पूर्ण विवरण सहित उत्तर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करें।

आगे यह भी जांच में पाया गया कि नगर निगम द्वारा तहबाजरी के अंतर्गत विगत तीन सालों से मांग से अधिक वसूली की जा रही है, इससे प्रतीत होता है की वार्षिक मांग का सही से आंकलन नहीं किया जा रहा है जिस कारण से निगम द्वारा तहबाजरी में अधिक वसूली की जा रही है,अगर आंकलन सही से किया गया होता तो इससे भी अधिक आय हो सकती थी। जिस कारण निगम को नुकसान होने से मना नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वकर प्रणाली के अंतर्गत आरोपित भवन कर जमा किए जाने हेतु निदेशालय स्तर पर नगर सेवा पोर्टल संचालित की गई है। उक्त पोर्टल पर निगम स्तर से सम्पतियों का अपडेट एवं नई सम्पतियों की प्रविष्टि किए जाने की कार्यवाही पिछले वित्तीय वर्ष से गतिमान है। जिस कारण पूर्व की भांति प्रक्रिया के अनुसार बिल समय से जारी नहीं हो पाये। मार्च माह में अधिकतर गृहकर दाताओं द्वारा गृहकर का भुगतान किया जाता रहा है। परंतु मार्च 2020 से कोविड संक्रमण के चलते लाकडाउन लागू होने के कारण कर वसूली प्रभावित हुई है साथ ही दुकानों एवं भवनों का नवीनीकरण बोर्ड प्रस्ताव स0 14 दिनांक 20.02.2020 के द्वारा किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि लाकडाउन मार्च 2020 के अंतिम में लागू हुआ था जबकि वसूली विगत तीन वर्षो से लम्बित पड़ी थी।

अत: इकाई द्वारा विभिन्न आय मदों के अंतर्गत ` **199.78 लाख** के करो की लंबित वसूलियों का प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक 'अ'

नगर निगम रुड़की के अंतर्गत वसूले जाने वाले गृहकर का विवरण

धनराशि (₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वार्षिक मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
18-2017	49.66-	350.00	300.34	(%81) 243.77	56.57
19-2018	56.57	350.00	406.57	(%82) 335.03	71.54
20-2019	71.54	350.00	421.54	(%54) 229.53	192.01

नगर निगम रुड़की की परिसंपतियों (भवन/दुकानों) से किराए की वसूली का विवरण

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वार्षिक मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
18-2017	0.17-	22.60	22.43	(%93) 20.88	1.55
19-2018	1.55	22.60	24.15	(%92) 22.28	1.87
20-2019	1.87	22.60	24.47	(%67) 16.40	7.77

नगर निगम रुड़की के अंतर्गत वसूली जाने वाली तहबजारी का विवरण

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वार्षिक मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
18-2017	0.08	11.00	11.08	(%103) 11.36	0.28-
19-2018	0.28-	11.00	10.72	(%126) 13.52	2.80-
20-2019	2.80-	12.00	9.20	(%138) 12.65	3.45-

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-09: निविदा के माध्यम से आवंटित किये गये 19 कृषि भूमि का अनुबन्ध तैयार न किये जाने से स्टैम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के रुप में धनराशि ₹ 2,96,820 का शासन को राजस्व की हानि होना तथा अनुबन्धित धनराशि ₹ 75.20 लाख की वसूली नहीं होना।

भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अध्याय दो की धारा (16) एवं अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/अनुबंध या करार तथा किसी अचल संपति को स्थानांतरण आदि करने पर नियमानुसार शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी है ताकि शासकीय आय में वृद्धि हो सके। नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की देयता के सम्बंध में अपर महानिरीक्षक निबंधक उत्तराखंड, देहारादून द्वारा निदेशक शहरी विकास को संबोधित अपने पत्र संख्या 375/म0नि0नि0/2012-13 दिनांकित 13.07.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ठेकों पर ठेकों कि सम्पूर्ण राशि के 2% कि दर से स्टाम्प शुल्क कि वसूली कि जानी चाहिए। इसी सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि लीज अनुबंध स्टाम्प कि धारा (2) (16) के अंतर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क देय है।

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 कि धारा -17 के अनुसार अचल संपति से संबन्धित सभी ठेकों का रजिस्ट्रीकरण कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त अधिनियम के अनुक्रम में उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9 के पत्रांक संख्या 69/2017/XXVII(9)/स्टाम्प-54/2010 दिनांकित 08 अगस्त 2017 के द्वारा सभी विभागों को अनिवार्य रूप से ठेकों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आदेश जारी किये थे। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई अधिकारी उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में शिथिलता का प्रदर्शन करेगा तो शासकीय राजस्व की हानि के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानकर उसके विरुद्ध कार्यवाही कि जायेगी।

नगर निगम रुडकी के कृषि भूमि फार्म की निलामी तथा सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि ग्राम सालियर साल्हापुर तथा इब्राहिमपुर में स्थित कृषि कार्य हेतु 19 फार्मो की सार्वजनिक निलामी मार्च 2018 को खुली निविदा आयोजित कर 03 वर्ष दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2020 की अवधि के लिए नीलाम किया गया। निलामी की अन्य शर्तो के साथ यह भी निर्देशित किया गया कि अधिकतम बोली वाले व्यक्ति के नाम नीलाम छोडा जाएगा। नीलामी की धनराशि का 1/3 भाग मौके नीलामी पर नकद जमा करना होगा। शेष धनराशि की दुसरी किश्त जून 2019 तथा शेष अन्तिम किस्त जून 2020 में जमा करनी होगी। कास्तकार (ठेकेदार) को ठेकानामा 15 दिवस के भीतर रु0 100 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा, जिसका व्यय भी ठेकेदार को वहन करना होगा।

सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि 19 ठेकों की मार्च 2018 में सार्वजनिक नीलामी आयोजित कर 03 वर्ष की अवधि के लिए कृषि कार्य हेतु आवंटित की गयी, परन्तु उपरोक्त प्रावधानानुसार इकाई द्वारा ठेकेदार को न तो कोई कार्यादेश जारी किया गया और न ही कोई अनुबन्ध सम्पादित की गयी।

सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा मात्र रु0 100 का स्टाम्प बिना किसी इन्द्राज के जमा कराया गया था। इससे स्पष्ट है कि अनुबन्ध नहीं बनाये जाने तथा अनुबन्ध की पंजीकरण नहीं कराया जाने से उपरोक्त प्रावधानानुसार 02 प्रतिशत स्टाम्प तथा 02 प्रतिशत अनुबन्ध के पंजीकरण के रुप में शासन को धनराशि ₹ 2,71,820 (₹ 1,35,060 स्टाम्प +₹ 1,36,760 पंजीकरण) हानि हुई (विवरण संलग्न)। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा अनुबन्ध की धनराशि ससमय कार्यालय में जमा नहीं कराया जा रहा है जबकि अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार माह 06/2020 में सम्पूर्ण धनराशि कार्यालय में जमा करा दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार से अनुबन्ध की धनराशि ₹ 66.85 लाख के सापेक्ष वर्तमान तक केवल ₹ 26.56 लाख ही कार्यालय में प्राप्त हुए थे। शेष धनराशि ₹ 41.32 लाख निर्धारित अवधि के 05 माह व्यतीत होने बाद भी धनराशि की वसूली के जानी वर्तमान तक अपेक्षित थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा दिसम्बर 2018 में 80 यूनिपोल पर विज्ञापन हेतु धनराषि ₹ 115.00 लाख का अनुबन्ध गठित किया गया था जिसके सापेक्ष 02 प्रतिशत की दर पर स्टाम्प का प्रयोग कर अनुबन्ध सम्पादित किया गया था परन्तु उक्त अनुबन्ध का पंजीकरण नहीं कराया गया था जिसपर अधिकतम धनराशि ₹ 25000 पंजीकरण शुल्क शासन को देय था। विज्ञापन हेतु सम्पपदित अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि कार्यालय में माह सितम्बर 2019 में जमा करा दी जानी चाहिए थी परन्तु लेखापरीक्षा में पाया गया कि अन्तिम किस्त की धनराषि मय ब्याज ₹ 33.88 लाख एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी जमा नहीं कराया गया था। इस प्रकार से उपरोक्त दोनों प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के रुप में कुल धनराशि ₹ 2,96,820 (₹ 2,71,820+₹ 25,000) शासन को हानि हुई तथा अनुबन्धित धनराषि ₹ 75.20 लाख की वसूली समयावधि समाप्त होने के बाद भी इकाई द्वारा वर्तमान तक नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए उत्तर में अवगत कराया कि निविदा शर्तो के आधार पर खुली बोली कराकर स्थानीय कृषकों को जीविकोपार्जन हेतु किराये पर खेत आवंटित किया जाता हैं। यह भी अवगत कराया गया कि स्थानीय निर्धन परिवारों द्वारा व्यक्तिगत रुप से खुली बोली में प्रतिभाग किया जाता है जिसके लिए कोई पंजीकरण शुल्क व जी.एस.टी. पंजीकरण की बाध्यता नहीं रखी जाती है। इकाई का उत्तर उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि निगम के इन सम्पत्तियों की प्रत्येक 03 वर्ष के अन्तराल पर निलामी प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न ठेकेदारों को आवंटित किया जाता है जिसका निर्धारित स्टैम्प पर अनुबन्ध तैयार किया जाना चाहिए तथा अनुबन्ध का पंजीकरण भी कराया जाना चाहिए था, जो कि इकाई द्वारा नहीं किया गया।

अतः निविदा के माध्यम से आवंटित किये गये 19 कृषि भूमि का अनुबन्ध तैयार न किये जाने से स्टैम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के रुप में धनराशि ₹ 2,96,820 का शासन को राजस्व की हानि होने तथा अनुबन्धित धनराषि ₹ 75.20 लाख की वसूली नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

ग्राम सालियर साल्हापुर तथा इब्राहिमपुर में स्थित कृषि फार्म की निलामी तथा अनुबन्ध धनराशि की वसूली सम्बन्धी विवरण

Sl. No.	Plot No.	Name and adress of Contractor	Period of Agreements		Contract Amounts	Stamp duty to be used	Stamp duty used	Short Stamp duty used	Registration fee to be charged	Amount received	Balance Amounts
			From	Up to							
1	1	Santosh S/o Kaliram	01/2018	12/2020	262,500	5,250	100	5,150	5,250	60,000	202,500
2	2	Ahmed Ali S/o Munam	01/2018	12/2020	633,500	12,670	100	12,570	12,670	20,000	613,500
3	3	yusuf s/o Iqubal	01/2018	12/2020	675,000	13,500	100	13,400	13,500	450,000	225,000
4	4	yusuf s/o Iqubal	01/2018	12/2020	400,000	8,000	100	7,900	8,000	266,670	133,330
5	5	Chandra pal s/o chauhal	01/2018	12/2020	329,000	6,580	100	6,480	6,580	172,670	156,330
6	7	Ibrahim s/o Iqbal	01/2018	12/2020	253,500	5,070	100	4,970	5,070	84,500	169,000
7	10	Yogesh s/o chandra pal	01/2018	12/2020	702,000	14,040	100	13,940	14,040	81,500	620,500
8	11	Amar Singh s/o Chenm ram	01/2018	12/2020	526,500	10,530	100	10,430	10,530	223,000	303,500
9	17	Subhash s/o Poorn chandra	01/2018	12/2020	752,500	15,050	100	14,950	15,050	209,000	543,500
10	20	Arun s/o Jitendra Saini	01/2018	12/2020	334,000	6,680	100	6,580	6,680	111,335	222,665
11	21	Satish s/o Kaliram	01/2018	12/2020	319,500	6,390	100	6,290	6,390	53,500	266,000
12	22	Jabbar s/o Mahmood	01/2018	12/2020	155,000	3,100	-	3,100	3,100	50,000	105,000
13	9	Dilshad s/o Iqbal	01/2018	12/2020	711,500	14,230	-	14,230	14,230	361,670	349,830
14	6	Mohit s/o Madan pal	01/2018	12/2020	67,000	1,340	100	1,240	1,340	33,500	33,500
15	8	Azad s/o Galib	01/2018	12/2020	225,000	4,500	100	4,400	4,500	90,000	135,000
16	12	Azad s/o Galib	01/2018	12/2020	338,000	6,760	100	6,660	6,760	338,000	-
17	13	Chandra pal s/o chauhal	01/2018	12/2018	53,000	1,060	100	960	1,060	-	53,000
18	14	Amit s/o Jairam	01/2018	12/2018	62,500	1,250	100	1,150	1,250	62,500	-
19	15	Samay Singh s/o Phool Singh	01/2018	12/2018	38,000	760	100	660	760	38,000	-
		Total			**6,684,500**	**136,760**	**1,700**	**135,060**	**136,760**	**2,705,845**	**4,132,155**

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-10: निगम के अधीन किराए पर दिए गए दुकानों के किराए में पुनरीक्षण में उदासीनता के कारण राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना संख्या 1624/IV-3/2016-6(8)/2016 दिनांक 25.10.2016 द्वारा राज्य के समस्त नगर निगमों हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) नियमावली, 2000 (अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश, 2000) अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) नियमावली, 2016 को पारित किया गया था। उक्त नियमावली के अनुसार निगम के नगर आयुक्त द्वारा प्रत्येक चार वर्ष में एक बार विहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मासिक किराया दर को पुनरीक्षित करना सुनिश्चित करेगा, जिससे नवीन दरों के आधार पर भवन/भूमि/दुकानों के मासिक किराया मूल्यांकन को पुनरीक्षित किया जाएगा। मासिक किराया दर के पुनरीक्षण में विलम्ब के फलस्वरूप निगम को किसी राजस्व हानि के लिए नगर आयुक्त उत्तरदायी होगा। उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 760/श.वि.नि.-1213/अधि.नि.-2008/2014 दिनांक 17.07.2014 के अनुसार राज्य के सभी नगर निगमों में स्थित सम्पत्तियों का पंचवर्षीय कर निर्धारण समय से सुनिश्चित करना था।

कार्यालय, **नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की** के अंतर्गत संपत्तियों को किराए पर दिए गए लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि नवम्बर 2002 में निगम एवं दुकान किराएदारों के बीच हुए अनुबंध (किरायानामा) के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार प्रति पांच वर्ष के बाद किराया में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार निगम को दिसम्बर 2007 में सभी दुकान किराएदारों से 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ किराया वसूलना था परंतु निगम ने किराया के मामले में अपनी उदासीनता दिखाते हुए मार्च 2011 में किराया में बढ़ोतरी का आदेश पारित किया। निगम द्वारा किराए में बढ़ोतरी नहीं किए जाने के कारण लगभग चार वर्ष चार महीने तक राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

आगे, अभिलेखों में पाया गया कि निगम द्वारा मार्च 2011 में दूकान किराए में बढ़ोतरी किया गया था। नियमानुसार पुनः अप्रैल 2017 से किराए में बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित था परंतु निगम द्वारा दुकान किराए में उदासीनता दिखाते हुए फरवरी 2020 में किराए में बढ़ोतरी किया गया। इस प्रकार, निगम द्वारा किराए में बढ़ोतरी नहीं किए जाने के कारण लगभग दो वर्ष 10 महीने तक राजस्व की हानि उठानी पड़ी। उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि भविष्य में नियमानुसार किराए में बढ़ोतरी की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार प्रत्येक पांच वर्षों के अंतराल पर दुकान के किराए में पुनरीक्षण किया जाना चाहिए किराए के पुनरीक्षण में उदासीनता के कारण निगम को राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

इस प्रकार, निगम के अधीन किराए पर दिए गए दुकानों के किराए में पुनरीक्षण में उदासीनता के कारण राजस्व की हानि से संबंधित प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-11: विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अर्जित ब्याज की धनराशि ₹15,72,993/- को संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा न किया जाना।

प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 347/वि0आ0नि0दे0 (तृ0वि0आ0)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि पर अर्जित ब्याज का वर्षवार विवरण स्रोतवार उपलब्ध करवाते हुए ब्याज की धनराशि को राजकीय राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। उक्त के पत्र संख्या 16/xxvii(14)/2017 दिनांक 17 अप्रैल 2017 के अनुसार पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लंबे समय तक व्यय न हो पाने के कारण विभिन्न बैंक खातों में जमा रहती है, जिस पर प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र संबन्धित राजकोष के लेखाशीर्ष में जमा करा दिया जाना चाहिए।
नगर निगम, रुड़की जनपद – हरिद्वार द्वारा प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न योजनाओं से ₹ 15,72,993/- ब्याज अर्जित हुआथा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि ब्याज की धनराशि को आतिथि तक पूर्व में अर्जित ब्याज भी जमा नहीं कराया है, अर्जित ब्याज को संबन्धित राजकोष लेखाशीर्ष में जमा करने की कार्यवाही गतिमान है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विगत वर्षो से ब्याज की धनराशि इकाई के विभिन्न खातो में पड़ी है।

अत: विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत अर्जित ब्याज की राशि ₹ 15.73 लाख जमा न कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-12: 02 निर्माण कार्यो में ठेकेदार को वास्तविक कार्य सम्पादन के सापेक्ष धनराषि ₹ 0.55 लाख का अधिक भुगतान किया जाना।

इकाई द्वारा राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगम परिक्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यो का सम्पादन किया जाता है। सम्पादित निर्माण कार्यो के अभिलेखों मय प्रगति प्रतिवेदन तथा भुगतानित वाउचर्स आदि की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान सम्पादित 02 निर्माण कार्य आगणन की धनराशि ₹ 15.93 लाख के निर्माण के उपरान्त भुगतानित देयक के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सन्दर्भित दोनों कार्यो में ठेकेदार द्वारा जी.एस.टी. सहित धनराशि ₹ 15.79 लाख का कार्य कर पूर्ण किया गया था। परन्तु उक्त सम्पादित कार्य के सापेक्ष ठेकेदार को 02 देयक के माध्यम से कुल धनराशि ₹ 16.34 लाख का भुगतान किया गया था। इस प्रकार से निम्न तालिका के अनुसार उक्त दोनो कार्यो में सम्बन्धित ठेकेदार को ₹ 0.55 लाख का अधिक भुगतान किया गया ।

Name of works	Estimated Cost with GST	Works executed as of IInd and final Bill			Payments made through			Excess payments
		Work cost	GST	Total	Ist RA Bill	IInd RA Bill	Total	
मो0 सोत में आत्माराम के मकान से फरजद अली मगन गिरी वाली गली व बेला वाली गली में सी0सी0 निर्माण कार्य	6,00,747	5,28,118	63,374	5,91,492	4,67,459	1,42,365	6,09,824	18,332
सिविल अस्पताल के पास हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक का निर्माण कार्य	9,92,691	8,81,380	1,05,766	9,87,146	8,33,723	1,90,359	10,24,082	36,936
कुल योग	**15,93,438**	**14,09,498**	**1,69,140**	**15,78,638**	**13,01,182**	**3,32,724**	**16,33,906**	**55,268**

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि त्रुटिवश इन कार्यो में अधिक भुगतान हो गया है जिसके शीघ्र वसूली हेतु कार्यवाही की जाएगी।

अतः 02 निर्माण कार्यो में ठेकेदार को वास्तविक कार्य सम्पादन के सापेक्ष धनराशि ₹ 0.55 लाख का अधिक भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-13: सेवानिवृत्ति के 03 से 22 माह बीत जाने के उपरांत भी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित रखा जाना ।

नगर निगम रुड़की , जनपद हरिद्वार के कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्यनिधि विनियमन, 2015 जोकि उत्तराखण्ड गज़ट, 27 फरवरी, 2016 ई० (फाल्गुन 08, 1937 शक संवत) के अंतर्गत बनाई गयी है के भाग 5 नियम संख्या 12(2) के अनुसार **"प्रतिबंध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षकउपादान और सेवानिवृत्ति (अपने अदीनस्थ कर्मचारियों के समब्ध में) यह संतोष हो जाये कि किसी अधिकारी के उपादान तथा सेवा निवृत्ति वेतन 'पेंशन' की स्वीकृति मे अत्यधिक विलंब होगा तो वह संबन्धित अधिकारी द्वारा प्रपत्र "झ" मे घोषणा पत्र देने पर अप्रत्याशित मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति "पेंशन" का भुगतान स्वीकृत कर सकते हैं । इस प्रकार के भुगतान का धन सलेखा अधिकारी द्वारा अत्यधिक सावधानी पूर्वक ऐसे संक्षिप्त परीक्षण, जिसे वह अविलंब कर सके, निर्धारित किए गए मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन की धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक न होगा"।**

नगर निगम रुड़की के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अभिलेखों की नमूना लेखा जांच मे यह प्रकाश मे आया कि तीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तिथि से 03 से 22 महीने के उपरांत भी पेंशन तथा सेवानिवृत्ति उपादान का भुगतान लंबित है तथा उपरोक्त नियमानुसार भी कोई भुगतान संबन्धित कर्मचारियों को नहीं किया जा रहा था। कर्मचारियों का विवरण निमन्वत है:-

क्रम संख्या	नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	लंबित उपदान (₹ में)	लंबित भुगतान की मद
01	श्रीमति सुखदेई देवी, सेवानिवृत्त पर्यावरण मित्र	29/02/2020	8,03,088	सेवानिवृत्ति उपदान एवं पेंशन
02	श्री अनवर हसन, सेवानिवृत्त माली	31/07/2020	3,09,173	सेवानिवृत्ति उपदान एवं पेंशन
03	श्री विरेंद्र कुमार, सेवानिवृत्त वर्क एजेंट	30/06/2020	4,51,474	सेवानिवृत्ति उपदान एवं पेंशन
04	श्री शिवनंद, सेवानिवृत्त वर्क एजेंट	31/01/2019	2,14,704	सेवानिवृत्ति उपदान

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित क्यी जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि जांच कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत भुगतान लम्बे समय से लंबित था। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत दी जाने वाली पेंशन तथा अन्य देयक कर्मचारी के जीवन यापन हेतु महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि भुगतान में देरी की भी गयी थी तो नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्यनिधि विनियमन, 2015 के भाग 5 नियम संख्या 12(2) के अनुसार 75 प्रतिशत तक पेंशन व उपादान का भुगतान किया जा सकता था । भुगतान में देरी की स्थिति में अनावश्यक न्यायायिक प्रक्रिया तथा क्षतिपूर्ति के रूप में शासकीय धन की हानी की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता ।

अतः सेवानिवृत्ति के 03 से 22 माह बीत जाने के उपरांत भी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित रखे जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-14: स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्राप्त ₹ 98.40 लाख की धनराशि का विगत तीन वर्षों से अवरोघन।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उत्तराखण्ड के पत्रांक संख्या 1809/203/SUDA/SBM/2017-18 दिनांक 11.12.2017 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में नगर निगम, रूड़की को सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु ₹ 78.40 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी। उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकस अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 821/IV(2)-श.वि.-2019-08 (सां.) 18 दिनांक 16 अक्टूबर 2019 के द्वारा नगर निगम, रूड़की को ए.बी.सी.-ए.आर.बी. कार्यक्रम के संचालन हेतु ` 20.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी।

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की के स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उत्तराखण्ड से प्राप्त धनराशि ₹ 78.40 लाख के लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी संपूर्ण धनराशि अव्ययित निगम के खाते में अवरूद्व पड़ा हुआ था। नगर निगम क्षेत्र में सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं होन से वहां के नागरिकों को आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित होना पडा, जिनके लिए योजना मूलतः प्रस्तावित की गई थी। उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकस अनुभाग-2 द्वारा प्राप्त ₹ 20.00 लाख की धनराशि का आवंटन हुए लगभग एक वर्ष के व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अव्ययित निगम के खाते में अवरूद्व पड़ा हुआ था जबकि उक्त शासनादेशानुसार प्राप्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जाना था। इस प्रकार, ₹ 98.40 लाख की धनराशि विगत तीन वर्षों से अवरूद्व पड़ी हुई थी। आगे जांच में पाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन में उक्त ₹ 98.40 लाख की धनराशि से साथ-साथ ₹ 2.06 करोड़ की धनराशि अवशेष पड़ी थी।

उक्त अवरूद्व पड़ी धनराशि के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि उक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यादेश जारी हो चुकी है तथा कार्यपूर्ति उपरान्त कार्यालय महालेखाकार को अवगत करा दिया जाएगा। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जाना चाहिए था परंतु लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी धनराशि अव्ययित रूप से निगम के खाते में अवरूद्व पड़ा हुआ था।

इस प्रकार, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्राप्त ₹ 98.40 लाख की धनराशि का विगत तीन वर्षों से अवरोघन से संबंधित प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की के वित्तीय वर्ष 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की सम्प्रेक्षा श्री राजवेश भट्ट, व. लेखापरीक्षक, श्री राकेश रंजन एवं श्री पी. आर. चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.11..2020 से 26.11.2020 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग 2 (अ) के प्रस्तर	भाग 2 (ब) के प्रस्तर	STAN के प्रस्तर	TAN के प्रस्तर
01	97/2015-16	01	01 से 12	-	
02	197/2017-18	01	01 से 10	-	
03	63/2019-20	-	01 से 11		

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई।	इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराए जाने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका। अतः समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- सामान्य –

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की, जनपद-हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2- लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गए-

(i) डेड स्टॉक पंजिका

(ii) स्टॉक पंजिका

3- सतत अनियमितताएं-

(i) नई अंशदायी पेंशन योजना का लागू न किया जाना।

(ii) सेवा-पुस्तिकाओं से संबंधितयों आपत्तियों का निराकरण न किया जाना।

(iii) अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।

4- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्रीमती नुपूर वर्मा	नगर आयुक्त	14.09.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, नगर आययुक्त, नगर निगम, रूड़की, जनपद-हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार, स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II